(342)

दिनांक 22.06.2019 को अभियंता प्रमुख के अध्यक्षता में गठित कोषांग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (सिविल) की कंडिका–3.3.2 (असमायोजित अग्रिम) के समायोजन के संबंध में वरीय लेखा परीक्षा पदाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी

कोषांग के पदाधिकारियों की उपस्थितिः–

1.	अभियंता प्रमुख–	अध्यक्ष,
2.	मुख्य अभियंता–1	सदस्य
3.	मुख्य अभियंता–2	सदस्य
4.	श्री सुनील कुमार–	अधीक्षण अभियंता, (मुख्य अभियंता–4 कार्यालय–सह–नोडल पदाधिकारी) – नोडल पदाधिकारी, विधान मंडल समिति से संबंधित मामलें

कंडिका संख्या–3.3.2 असमायोजित अग्रिम के समायोजन के संबंध में विभिन्न कार्य प्रमंडलों से लंबित अग्रिम समायोजन से संबंधित प्राप्त साक्ष्य सहित प्रतिवेदन को समिति के निदेशानुसार सत्यता/परीक्षण की जाँच हेतु महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को प्रेषित की गयी थी। महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा विभाग से अभी तक प्राप्त प्रतिवेदनों का व्यक्तिवार सम्परीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा कुल असमायोजित अग्रिम की राशि 62.84 करोड़ के विरूद्ध 48.06 करोड़ की राशि को समायोजित पाया गया। शेष 14.78 करोड़ असमायोजित राशि को भिन्न–भिन्न कारणों एवं साक्ष्य के अभाव में समायोजन हेतु लंबित दर्शाते हुए उक्त असमायोजित राशि की पूर्ण विवरणी पत्रांक लो0ले0सं0/ग्रा0का0वि0/अनु0/19–2d87E/16 दिनांक 25.04.2019 के साथ संलग्न परिशिष्ट–I-IV में अभ्युक्ति अंकित कर विभाग को निराकरण हेतु उपलब्ध कराया गया है। उक्त परिशिष्ट के आधार पर शेष असमायोजित अग्रिम के संबंध में प्रमंडलवार सूची तैयार कर विभागीय पत्रांक 3646 अनु0 दिनांक 24.05.2019 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जमुई/ खगड़िया/पटना/ बेनीपट्टी/सासाराम–1 एवं 2 /अरेराज/त्रिवेणीगंज/ छपरा–2/ सीवान–1/नवादा /समस्तीपुर/बीरपुर / धमदाहा /हाजीपुर/मुजफ्फरपुर–1 /बक्सर/ दरभंगा–1 एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला पूर्णिया को भेजते हुए उक्त सूची के अभ्युक्ति में अंकित पृच्छा के आधार पर कार्रवाई कर विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित प्रतिवेदन के साथ दिनांक 22.06.2019 को समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने हेतु निदेश दिया गया। उक्त निदेश के आलोक में कार्य प्रमंडल अरेराज/ त्रिवेणीगंज /समस्तीपुर /धमदाहा/हाजीपुर

/खगड़िया एवं पटना के ~~कार्यालय~~ कार्यपालक अभियंता अथवा उनके प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए। शेष कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता उक्त समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित रहें। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता एवं उसके प्रतिनिधि के साथ मामलें की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत कोषांग द्वारा लिये गये निर्णय निम्नवत हैः–

1. कार्य प्रमंडल पटना

कार्य प्रमंडल पटना के अन्तर्गत निम्न दो मामलें लंबित है।

(i) श्री VMPD Singh , तत्कालीन सहायक अभियंता के उपर 2349056.12 समायोजन हेतु लंबित है। उक्त राशि में से 730196.40 समायोजन को महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा सही पाया गया तथा शेष 1618859.72 राशि में से 1181500.72 के Notional Allotment तथा शेष 437359/–राशि की वसूली पर कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है तथा दूसरे मामले श्री K.M Prasad तदेन सहायक अभियंता के उपर लंबित 157034.83 राशि के समायोजन के संबंध में है। जिसमें महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा कैशबुक के भुगतान पक्ष में अभिश्रवों की प्रविष्टी दर्शाने का साक्ष्य की मांग की गयी। उक्त दोनो मामले के संदर्भ में बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना के प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया तथा उनके द्वारा श्री VMPD Singh , तत्कालीन सहायक अभियंता के उपर शेष लंबित अग्रिम के संबंध में बताया गया कि कुछ राशि के समायोजन हेतु विपत्र/अभिश्रव प्रमंडल में उपलब्ध है।

बैठक में कोषांग द्वारा उक्त दोनो मामलें के समीक्षोपरांत कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना को यह निदेश दिया गया कि दोनो मामलें के संदर्भ में महालेखकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा की गयी पृच्छा के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई कर विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित वांछित प्रतिवेदन विभाग को विशेष दूत के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें।

2. कार्य प्रमंडल अरेराज

कार्य प्रमंडल अरेराज से संबंधित अधिकांश मामलों में महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा शेष असमायोजित अग्रिम लंबित रखने वाले कर्मियों के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरेराज द्वारा दर्ज की गयी सर्टिफिकेट केश के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने से संबंधित है। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरेराज द्वारा बैठक में यह बताया

गया कि अद्यतन स्थिति ज्ञात करने हेतु जिला नीलाम पदाधिकारी से उनके द्वारा पत्राचार किया जा रहा है सम्प्रति अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।

उक्त के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल अरेराज को यह निदेश दिया गया कि असमायोजित अग्रिम लंबित रखने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध दायर की गयी सर्टिफिकेट केस की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु जिला नीलाम पदाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करे। एतद् संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र मे साक्ष्य सहित विभाग को एक सप्ताह के अन्दर विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

3. कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज

कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज से संबंधित तीन मामलें क्रमशः श्री कुमार कान्त झा, कनीय अभियंता, श्री विनय कुमार शर्मा, कनीय अभियंता एवं श्री विनोद लाल दास, लेखा लिपिक के संदर्भ में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणीगंज द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रतिवेदन को अस्वीकृत करते हुए यह निदेश दिया गया कि उक्त तीनों मामले के संदर्भ में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में सभी आवश्यक कार्रवाई कर समायोजन से संबंधित प्रतिवेदन/दायर की गयी सर्टिफिकेट केस से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित एक सप्ताह के अंदर विशेष दूत के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

4. कार्य प्रमंडल समस्तीपुर

कार्य प्रमंडल समस्तीपुर के अन्तर्गत कुल पाँच मामलें के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल समस्तीपुर के समक्ष समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रतिवेदन को महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गयी पृच्छा के अनुरूप नहीं होने के कारण अस्वीकृत करते हुए कार्य प्रमंडल समस्तीपुर को यह निदेश दिया गया कि उनके प्रमंडलाधीन लंबित सभी पाँचों मामलों में महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में लंबित अग्रिम राशि के समायोजन/दायर की गयी सर्टिफिकेट केस के संबंध मे साक्ष्य सहित अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अंदर विशेष दूत के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. कार्य प्रमंडल धमदाहा

कार्य प्रमंडल धमदाहा के अन्तर्गत कुल चार मामलें के संदर्भ में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा पृच्छा की गयी। पृच्छा के आलोक में कार्यपालक अभियंता, धमदाहा द्वारा बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन पर समीक्षा के क्रम में निम्न निर्णय लिया गयाः–

(i) श्री गोविन्द झा, तत्कालीन कनीय अभियंता एवं श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा लंबित राशि के विरूद्ध की गयी समायोजन से संबंधित साक्ष्य को प्रमाणित करते हुए विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(ii) श्री सुरेन्द्र शर्मा, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध दायर सर्टिफिकेट केस के संबंध में अद्यतन स्थिति के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(ii) श्री देवानन्द झा एवं श्री रामानंद सिंह, तदेन कनीय अभियंता के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वे कार्य प्रमंडल धमदाहा से संबंधित नहीं है। जबकि प्रशाखा में उपलब्ध अभिलेखानुसार कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल धमदाहा द्वारा पूर्व में अपने पत्रांक 64 दिनांक 19.01.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त दोनो तदेन कनीय अभियंता के विरूद्ध लंबित अग्रिम का समायोजन किया जा चुका है परन्तु इससे संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल धमदाहा को यह निदेश दिया गया कि अपने कार्यालय में संधारित अभिलेख की पुनः छानबीन कर उपरोक्त सभी पाँचों मामलों के संबंध में महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित वांछित प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायें।

6.कार्य प्रमंडल हाजीपुर

कार्य प्रमंडल हाजीपुर के अंतर्गत कुल छः मामलें लंबित है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उक्त में से अधिकांश मामलों के समायोजन किया जा चुका है। साथ ही उनके द्वारा साक्ष्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु समय की मांग की गयी है। उक्त के आलोक में कोषांग द्वारा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के उपस्थित प्रतिनिधि को यह निदेश दिया गया कि उन सभी मामलों के संबंध में महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा की गयी

पृच्छा के आलोक में वांछित प्रतिवेदन साक्ष्य सहित विहित प्रपत्र में विभाग को एक सप्ताह के अंदर विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7. कार्य प्रमंडल बक्सर

कार्य प्रमंडल बक्सर के अंतर्गत कुल एक मामलें श्री आर0एन0 दूबे के संबंध में कार्यपलाक अभियंता, कार्य प्रमंडल बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त कर्मी के संबंध में वरीय कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन कोषागार पटना से वर्तमान पता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया जो सम्प्रति अप्राप्त है। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बक्सर को यह निदेश दिया गया कि विशेष दूत के माध्यम कोषागार पदाधिकारी से उक्त कर्मी का वर्तमान पता की जानकारी प्राप्त कर समायोजन संबंधी शीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य प्रमंडल खगड़िया

कार्य प्रमंडल खगड़िया के अन्तर्गत कुल तीन मामलें लंबित है। बैठक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल खगड़िया के प्रतिनिधि उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अपूर्ण रहने के कारण अस्वीकृत करते हुए यह निदेश दिया गया कि महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा उक्त तीनों मामलों में की गयी पृच्छा के आलोक में विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर विशेष दूत के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. उक्त समीक्षात्मक बैठक में कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल **जमुई / बेनीपट्टी / सासाराम–1 एवं 2 / छपरा–2 / सीवान–1 / नवादा / वीरपुर / मुजफ्फरपुर–1 / दरभंगा–1 एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णिया** के अनुपस्थित रहने के कारण उनके प्रमंडलाधीन मामलें की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैठक में अनुपस्थित उन सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को बैठक में अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा उनके प्रमंडल से संबंधित मामलों में की गयी पृच्छा के आलोक में विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित वांछित प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाय।

22/6/19	22.6.19	22/6/19	22/06/19
(सुनील कुमार)	(मुख्य अभियंता–2)	(मुख्य अभियंता–1)	(अभियंता प्रमुख)
अधीक्षण अभियंता–सह– नोडल पदाधिकारी, विधान मंडलीय समिति से संबंधित मामलें, ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य विभाग,	ग्रामीण कार्य विभाग,	ग्रामीण कार्य विभाग

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–1–1/18 4630 पटना, दिनांक– 2.7.19

प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता–1 ,2 3 एवं 4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुंगेर/पटना/सहरसा/दरभंगा/सासाराम/मोतिहारी/मधेपुरा/छपरा/सीवान /गया/समस्तीपुर/पूर्णिया/मुजफ्फरपुर एवं आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–10/अ0प्र0–1–1/18 4630 पटना, दिनांक– 2.7.19

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई/खगड़िया/पटना/बेनीपट्टी/सासाराम–1 एवं 2/अरेराज त्रवेणीगंज/छपरा–2/सीवान–1/नवादा/समस्तीपुर/बीरपुर/धमदाहा/हाजीपुर/मुजफ्फरपुर–1/बक्सर/दरभंगा–1 एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि उक्त कार्यवाही में दिए गये निदेश के आलोक में अपने–अपने प्रमंडलों से संबंधित मामलों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर निर्धारित समय के अंदर वांछित प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विदित हो कि यह मामला लोक लेखा समिति में संचालित है। समिति के निदेशानुसार मामलें के संबंध में त्वरित गति से कार्रवाई कर समिति को अवगत कराया जाना है। इसलिए इस मामलें में बिल्कुल शिथिलता न बरती जाय।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–1–1/18 4630 पटना, दिनांक– 2.7.19

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि यह पत्र संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर निश्चित रूप से प्रेषित कर दें।

अभियंता प्रमुख